


## फर्द अहकाम

अज अदालत अति० जिला मजिस्ट्रेट.....मुकाम .....टोंक .....

सरकार जरिये थानाधिकारी उनियारा.....बनाम ..... रईस अहमद

किस्म मुकदमा.....गुण्डा एक्ट ..नं०.....०१.....सन.... २०१८

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
२९ <sup>१०</sup> / <sub>१८</sub>	<p>आज यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना उनियारा ने अभियोजन अधिकारी टोंक के माध्यम से गैर सायल रईस अहमद पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान फकिर निवासी वार्ड नं०४ उनियारा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा ३(३) राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम १९७५ पेश कर निवेदन किया कि बाद समाअत सलूक कानूनी फरमाया जाकर गैर सायल को जिला हाजा से अन्य जिले में निष्कासित करने की कृपा करें।</p> <p>हमने प्रस्तुत इस्तगासे का अवलोकन किया, गैर सायल के विरुद्ध अंकित रिकॉर्ड अनुसार ४ अभियोग जुआ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमे १ अभियोग मे सजा हो चुकी है, २ अभियोग न्यायालय मे विचाराधीन है तथा १ अभियोग जेर तजवीज है। गैर सायल जुआ सट्टा की खाईवाली करने का आदि है।</p> <p>अतः इस्तगासा दर्ज रजिस्टर होकर गैर सायल के विरुद्ध राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम १९७५ की धारा ३(३) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें। पत्रावली दिनांक १६.११.२०१८ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट</b>  <b>टोंक</b> </p>	<p>क्र० ६२० ३०/१०/१८</p>
१६ <sup>११</sup> / <sub>१८</sub>	<p>जिला अतिरिक्त जज के हुकम पर आधारित कार्यवाही</p> <p>आज अदालत परामर्श के बाद पर हुकम १९९५३५</p> <p>डॉ० सायल को पेश कर समाअत आदत मिली/अदत</p> <p>तामिल अदालत १ पत्रावली समाअत हुकम १९९५३५</p> <p>१९-११-१८ को पेश हो</p>	

19 <sup>11</sup>/<sub>18</sub> APP-I डका और सापल की वलमी परिधि सम्मान  
 के लिए पत्राचार दिनांक 30-11-18 को पेश है।  
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
 टोंक

30 <sup>11</sup>/<sub>18</sub> APP-I डका और सापल की परिधि सम्मान प्राप्त  
 और सापल की लामिल नष्ट हो गई और और सापल  
 की वलमी परिधि सम्मान के लिए पत्राचार  
 दिनांक 21-12-18 को पेश है।  
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
 टोंक

21 <sup>12</sup>/<sub>18</sub> APP-I डका और सापल की परिधि सम्मान प्राप्त  
 और सापल की लामिल नष्ट हो गई और और सापल  
 की वलमी परिधि सम्मान के लिए पत्राचार  
 दिनांक 7-2-19 को पेश है।  
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
 टोंक

7 <sup>2</sup>/<sub>19</sub> जिला अतिरिक्त के संकेत द्वारा स्थापित कार्य स्थिति  
 सेवा राणा APP-I डका और सापल की परिधि  
 मोडिक प्राप्त और सापल की लामिल नष्ट  
 हो गई। पुनः वलमी सम्मान और सापल  
 परिधि पुलिस अधीनस्थ को के लिए पत्राचार  
 दिनांक दिनांक 28-2-19 को पेश है।  
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
 टोंक

28 <sup>2</sup>/<sub>19</sub> APP-I एवं और सापल डका और सापल की  
 आयेप इतरागामी पत्राचार के द्वारा राणा और  
 सापल के आयेप की संकार स्थिति तथा  
 पत्राचार के लिए की संकार स्थिति  
 R.P.S

APP-3 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यहाँ सूचना देकर  
 एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा को जिला मजिस्ट्रेट को  
 दिनांक 28-3-19 तक को इजाजत देकर जिला मजिस्ट्रेट  
 को सूचना देकर जिला मजिस्ट्रेट को इजाजत देकर  
 जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देकर जिला मजिस्ट्रेट को  
 जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देकर जिला मजिस्ट्रेट को  
 जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देकर जिला मजिस्ट्रेट को  
 जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देकर जिला मजिस्ट्रेट को

22/3/19

431-434  
 1-3-19

प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
 टोंक